पुलिस विभाग जिला–अजमेर

।। प्रेस नोट दिनांक 01.08.2017।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफतार)

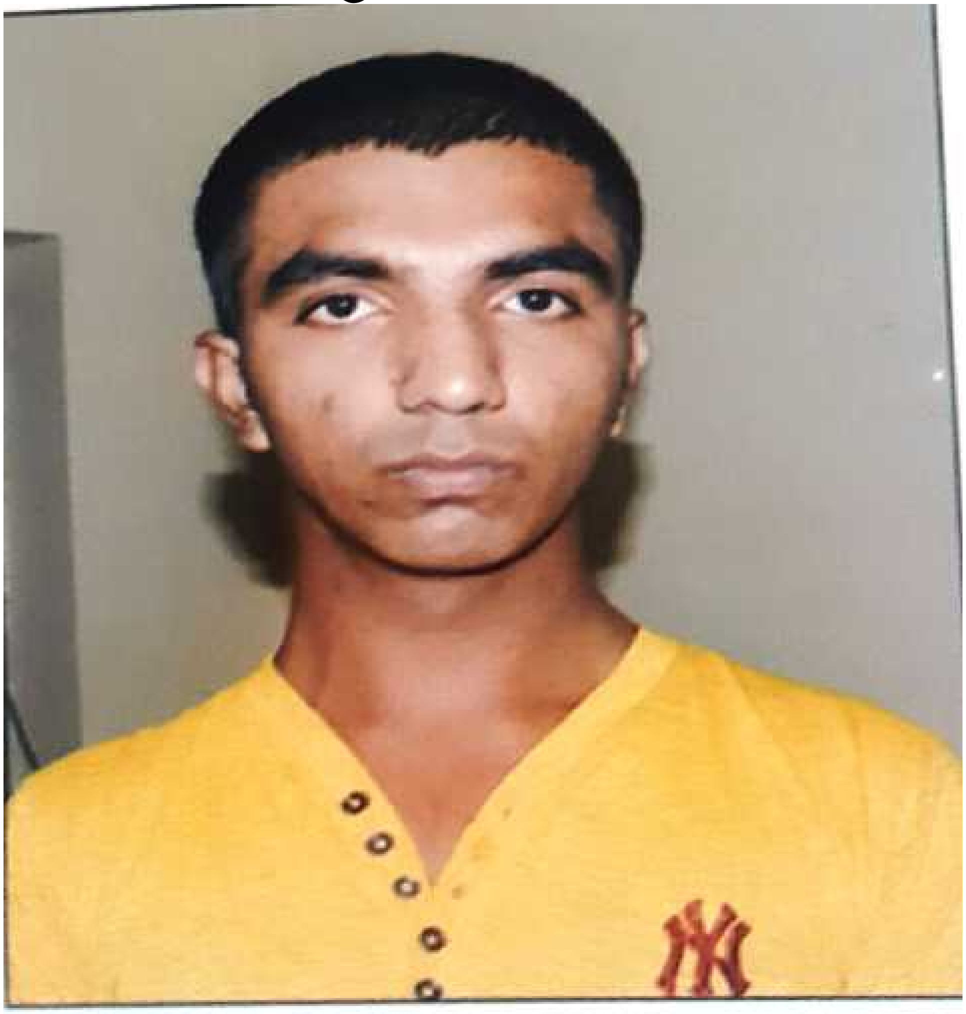

पुलिस थाना दरगाह के प्रकरण सख्या 143/17 में नाबालिग लडकी का अपहरण कर अपने कई दिनो तक दुष्कर्म कर फरार अभियुक्त श्री हरीश छतवानी पुत्र श्री किशनचंद छतवानी जाति सिंधी उम्र 19 साल निवासी 19 बी राज कॉलोनी हाथी खेडा रोड थाना गंज अजमेर की तलाश हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्रसिह

के निर्देशन में श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक श्री ओमप्रकाश वृत्ताधिकारी व्त्त दरगाह अजमेर के निर्देशन मे दरगाह थाना द्वारा श्री हरीश छतवानी पुत्र श्री किशनचंद छतवानी जाति सिंधी उम्र 19 साल निवासी 19 बी राज कॉलोनी हाथी खेडा रोड थाना गंज अजमेर को गिरफतार कर आज दिनांक 31.7.17 को न्यायालय में पेश कर केन्द्रीय कारागृह भिजवाया गया

(शान्ति भंग के आरोप मे 17 गिरफतार)

पुलिस थाना दरगाह पुलिस अधीक्षक राजेन्द्रसिह व श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक श्री ओमप्रकाश वृत्ताधिकारी व्त्त दरगाह अजमेर के निर्देशन मे दरगाह थाना द्वारा छठी के अवसर पर जेबतराशी एवं थडी लगाने को लेकर झगडते हुऐ 1.श्री मुबारक पुत्र श्री बुन्दू खा जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी चिश्ती मोहल्ल चमडाघर थाना गांधीनगर किशनगढ जिला अजमेर 2.श्री मोहम्मद चांद पुत्र अबूल हसन जाति मुसलमान उम्र 19 साल निवासी बडे पीर रोड गोसिया कालोनी थाना दरगाह जिला अजमेर 3.श्री शेख अनवर पुत्र श्री गुलाम ख्वाजा जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी मुगल कोठा केला बावडी अन्दरकोट थाना दरगाह अजमेर 4.श्री भूरा पुत्र श्री सलाम जाति मुसलमान उम्र 19 साल निवासी गुडडू भाई का मकान केलाबावडी अन्दरकोट थाना दरगाह अजमेर 5.श्री शाहीद पुत्र श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 23 साल निवासी गरीब नवाज कालोनी पगली बाबा का मकान अन्दरकोट थाना दरगाह अजमेर 6.श्री शेख रहीस पुत्र श्री शेख रहीम जाति मुसलमान उम्र 29 साल निवासी रूस्तमपुरा पुलिस चोकी के पास सूरत गुजरातए 7.श्री समीर पुत्र रफीक जाति मुसलमान उम्र 19 साल निवासी बेस्ताना आवास सूरत गुजरात 8.श्री जावेद हुसैन पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान उम्र 19 साल निवासी अमरोलिया आवास औसाद

सूरत गुजरातए 9.श्री अल्ला रखखा पुत्र श्री शेख अब्बास जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी नोशायरी बाजार रूस्तमपुरा सूरत गुजरात 10.श्री दानिस खान पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी गुलजार कालोनी इन्दोर एमपीए 11.श्री मोहम्मद सुफियान पुत्र श्री रहमत अली जाति मुसलमान उम्र 18 साल निवासी आलम भाई का मकान सिलावट मोहल्ला थाना दरगाह अजमेर 12.श्री जाहीद पुत्र श्री अमरूल जाति मुसलमान उम्र 19 साल निवासी साब भाई की दुकान के सामने गली नं 19 लोगिया मोहल्ला थाना गंज अजमेर 13.श्री चान्द शाह पुत्र श्री गुलाम शाह जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी जावरा जिला रतलाम एमपी 14.श्री टारजन पुत्र श्री अनवरदीन जाति मुसलमान उम्र 20 साल निवासी हाल खाना बदोश दरगाह अजमेर 15 श्री अख्तर अली पुत्र श्री मोहम्मद कमाल जाति मुसलमान उम्र 23 साल निवासी सिलावट मोहल्ला थाना दरगाह जिला अजमेर 16 श्री सुजल पुत्र यासीन जाति मुसलमान उम्र 19 साल निवासी कमला बावडी थाना गंज अजमेर 17 श्री जैनुअल्ला पुत्र श्री हमीरजान जाति मुसलमान उम्र 51 साल निवासी हाल खानाबदोश दरगाह अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया ।

अज्ञात मृतक के वारीसान की तलाश बाबत

पुलिस थाना गंज में आज दिनांक 01.08.2017 को प्रातः 08:00 बजे आनासागर झील मे एक अज्ञात शव पानी मे तैरता हुआ मिला। जिस पर शव को पानी से बाहर निकाल कर जेएलएनएच अजमेर के चीरघर मे रखवाया गया। **मृतक का हुलिया** :– पुरूष उम्र लगभग 35 वर्ष जिसने नेवी ब्लू रंग की शर्ट व काले रंग की जिन्स पेन्ट पहन रखी है शव लगभग दो तीन पुराना है। जिसकी पानी मे डूबने से मृत्यु होना प्रतित होता है। मृतक के वारीसान की तलाश कराने की कृपा करावे।

शराब पीकर वाहन चलाने की एक कार्यवाही

पुलिस थाना केकडी– में हनुमान हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा दौराने गस्त एंव जरायम कंट्रोल के कस्बा केकडी में मोटरसाईकिल चालक गोरर्धन लाल पुत्र रामलाल जाति प्रजापत उम्र 31 साल निवासी भैरूगेट केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पर अन्तर्गत धारा 185 एमवी एक्ट में गिरफतार किया गया।

घरेलु गैस के दामों में की गई बढोतरी के विरोध मेंयूथ कांग्रेस व ब्यावर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओ तथा पदाधिकारियों द्वारा गैस की टंकी व थालिया बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

पुलिस थाना ब्यावर सिटी में भारत सरकार द्वारा घरेलु गैस के दामों में की गई बढोतरी के विरोध में आज दिनांक 01.08.2017 को समय 5.50 बजे चाग गेट ब्यावर पर यूथ कांग्रेस व ब्यावर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओ तथा पदाधिकारियों द्वारा गैस की टंकी व थालिया बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

थाना मसुदा में एक वांछित अपराधी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा में मुकदमा नं 146/17 धारा 411, 407, 120 बी आई पी सी मे वांछित मुलजिम सलीम उर्फ सलीमूददीन जाति मुसलमान उम्र 54 साल निवासी खाकी दरवाजा के बाहर पीसांगन थाना पींसागन जिला अजमेर को दिनांक 31.7.17 को गिरफतार किया जाकर आज दिनाक 1.8.17 को न्यायालय पेश किया गया।

<u>कस्बा मदनगंज गांधीनगर जिला अजमेरः–</u> गांधीनगर क्षैत्र के अन्तर्गत मार्बल एरिया में हरमाड़ा रोड व मकराना रोड पर रघुनाथ महाराज मंदिर के नाम से कुल 63 बीघा जमीन है जिस पर लोगों द्वारा मार्बल गोदाम व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान निर्मित कर अतिक्रमण किया गया है। दिनांक 31.07.17 को प्रशासन द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु चिन्हिकरण के कार्य के दौरान सुरेश टांक (अध्यक्ष, मार्बल एसोसिएशन) के नेतृत्व में मार्बल व्यापारियों द्वारा

विरोध किया गया जिस पर कार्य रोक दिया गया। आज दिनांक 02.08.17 को प्रशासन द्वारा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिसके दौरान मार्बल व्यापारियो द्वारा विरोध प्रदर्शन किये जाने की सम्भावना है।

शान्ति भंग के आरोप मे 8 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा में 1. श्री मोती पुत्र लाडू जाति रावत उम्र 50 साल निवसी भैरूखेडा थाना मसूदा जिला अजमेर 2. श्री बहादुरसिंह पुत्र

कालूसिंह जाति रावत उम्र 37 साल भैरूखेडा थाना मसूदा जिला अजमेर 3. श्री शंकरसिंह पुत्र देबीसिंह जाति रावत उम्र 32 साल निवासी भैरूखेडा थाना मसूदा जिला अजमेर 4. श्री सांवतसिंह पुत्र कालूसिंह जाति रावत उम्र 35 साल निवासी भैरूखेडा थाना मसूदा जिला अजमेर 5. श्री अन्ना सिंह पुत्र गोमासिंह जाति रावत उम्र 60 सालनिवासी भैरूखेडा थाना मसूदा जिला अजमेर 6. श्री रामनिवास पुत्र श्री बख्तावर जाति बेरवा उम्र 42 साल निवासी कुण्ड का लाम्बा थाना मसूदा जिला अजमेर 7. श्री बाबु पुत्र श्री जीवण जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी टुकडा थाना रास पाली 8. श्री मुकेश पुत्र श्री चांदमल जाति तेलीउम्र 29 साल निवासी राताकोट थाना भिनाय अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार किया गया।

राजस्थान परिवहन निगम श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चा जिला अजमेरः– उक्त संगठन के कर्मचारियों को बकाया वेतन/पेंशन भुगतान करवाये जाने की मांग को लेकर आज दिनांक 01.8.2017 को श्री अनिल कटियार सचिव ऐटक यूनियन के नेतृत्व में लगभग 40–50 रोडवेज कर्मचारियों द्वारा बस स्टेण्ड पर नारे बाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। एवं रोडवेज के सभी ईकाईयो द्वारा समय 1.00 बजे से 3.00 बजे तक रोडवेज बसो का संचालन बंद रखा गया। दौराने शांति रही।

पुलिस थाना सिविल लाईन–151 की कार्यवाही–01/185 की कार्यवाही–01 पुलिस थााना जवाजा–19/54 में –01 पुलिस थाना रामगंज–एम वी एक्ट–12/151 की कार्यवाही–02/60 पुलिस एक्ट–02/185 की कार्यवाही–02 पुलिस थाना आदर्शनगर–एमवी एक्ट–04/ 151 की कार्यवाही–02पुलिस थाना ब्यावर सदर में आज दिनांक की कार्यवाही में एम वी एक्ट–09/ पुलिस थाना किशनगढ–151 की कार्यवाही–01/पुलिस थाना मदनगंज–151 की कार्यवाही–02 पुलिस थाना सिविल लाईन–151 की कार्यवाही–01 पुलिस थाना रामगंज–एम वी एक्ट–14/151 की कार्यवाही–02 पुलिस थाना क्रिश्चनगंज–60 पुलिस एक्ट–06/185 की

कार्यवाही–06/एम वी एक्ट–21 पुलिस थाना मदनगंज–185 की कार्यवाही–01/ 60 पुलिस एक्ट–01 पुलिस थाना अलवर गेट–185 की कार्यवाही–03/एम वी एक्ट 18 60 पुलिस एक्ट में–02/ 151 की कार्यवाही–01